

पत्रांक ४.१.७/३८/2017
कार्यालय अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, बोकारो

पत्रांक—

दिनांक 19.10.17

प्रेषक

अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी
बोकारो।

सेवा में,

प्राचार्य

भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एडुकेशन
दुर्गापुर, दिवानगंज, चास, पो०-कुर्रा,
जिला-बोकारो।

प्रसंग :-

विषय :— भवनाथ चौधरी कॉलेज ऑफ एडुकेशन दुर्गापुर, दिवानगंज, चास, पो०-कुर्रा, जिला-बोकारो
का अग्नि सुरक्षात्मक यंत्रों की जाँच प्रमाण पत्र का अग्रसारण।

महाशय,

आपके कॉलेज की अग्नि-सुरक्षात्मक जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई थी। जाँच के दौरान पाया गया कि प्रबंधन द्वारा संतोष जनक अग्नि सुरक्षात्मक उपाय कर लिये गये हैं तथा क्रियाशील हैं अतः इन्हें वर्ष 2018 के लिए अग्नि सुरक्षा जाँच प्रमाण पत्र इस कार्यालय के निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाती है कि:-

1. अधिष्ठापित लगाये गये अग्निशामक यंत्रों कि जाँच मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक नियमित रूप से कराते रहेंगे।
2. सभी उपकरणों को निर्धारित स्थान पर टांगे रहेंगे तथा अच्छी तरह संधारित रखेंगे।
3. किसी भी अग्नि शामक यंत्र के खाली होने पर तुरंत रिफिल करा लिया जाएगा।
4. सभी गैंगवेजों को संधारित रखा जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त बेड/कुर्सी लगा कर उसे बाधित नहीं किया जायेगा।
5. इस बात का खास ध्यान रखा जाये कि कॉलेज के निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा और न हीं बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
6. निकास(Exit) शब्द को सभी दरवाजों पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायेगा।
7. आकस्मिक सेवाओं के टेलिफोन नं० 9304953427 का डिस्प्ले स्वागत कक्ष के कोरिडोर में लगाया जाय।
8. आग लगने की स्थिति में अग्निशमालय को तुरंत सूचित किया जायेगा।
9. वर्ष में एक बार कॉलेज के स्टाफ को अग्निशमालय सेवा से संबंधित आवश्यक जानकारी दिलवाया जाये जिससे आपातकालिन परिस्थिति में बेहतर ढंग से अग्निशमन यंत्रों को संचालित कर सके तथा अग्निशमन सेवा को साथ में रखे जायें।
10. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में जांच की जा सकेगी तथा इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को दी जायेगी तथा किसी प्रकार कि घटना घटीत होने पर प्रशासक स्वंम जिम्मेवार होंगे।

संबंधित अग्नि सुरक्षा जाँच प्रमाण पत्र निर्गत तिथी से एक साल के लिये वैध है।

विश्वासभाजन

19.10.17
आधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी
बोकारो।

अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी
बोकारो।